संख्या-4/2019-वे0आ0-1-316/दस-2019-8(एम)/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2019**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियें, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए है, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2019 से बढी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-10/2018-वे0आ0-1-901/दस-2018-08(एम)/2016, दिनांक 02 नवम्बर, 2018
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3(1)/2008-ई-।।(बी), दिनांक 08 मार्च, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2018-वे0आ0-1-901/दस-2018-08(एम)/2016, दिनांक 02 नवम्बर, 2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2019 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2019	मूल वेतन का 154 प्रतिशत

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 एवं शासनादेश संख्या-5/2018-वे0आ0-1-362/दस-2018-08(एम)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते एरियर की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2019-वे0आ0-1-316(1)/दस-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ व्लाक, नई दिल्ली-110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सहित जो समस्त वित्तीय परार्मशदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3

(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in